

ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. 108 of 2017

Date of
Order of
Proceeding

Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

आज आरक्षी केन्द्र 31 के उपनिरीक्षक/सहायक
उपनिरीक्षक/प्रधान वीरेन्द्र सिंह
क/ 1087 द्वारा थाना प्रभारी की ओर से अपराध
क/ 03/17 अंतर्गत धारा उपअधिनियम 24
भा/द/स/ अधिनियम के अधीन दण्डनीय
अपराध के संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र/परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री पुदीप सिंह सिक्कार

अभियुक्त/अभियुक्तगण

राजेन्द्र सिंह सिक्कार पुदीप सिंह सिक्कार 8/6
निवासी/निवासीगण

थाना वाग-धीनी जिला बुरोनी राज्य मध्य प्रदेश
उपरिधत। अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से प्राधिवक्ता
श्री मेगोरेण्डम/वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

लुदीप

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया
है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग
पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया
अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार
भा/द/स/ अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के
आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा
140-(1) द/प/स/ के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पजीयन आपराधिक पजी में दर्ज
किया जावे।

अभियुक्त/अभियुक्तगण द/प/स/ की धारा 207 के अधीन प्रावधानों
के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निशुल्क दिलायी
जाये।

चूँकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण
की ओर से 7000/- (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि

Date of
order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

चूँकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा ३०२(२) भा० द० स० /

अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियाँ विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथम से टकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं २०००/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के सदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को ७ दिवस का साधारण कारावास भुगताना जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति ५० पैसे प्लेन देम ५५५/- रुपये राजस्व में किये जायें। संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरान्त अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि २०००/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक नं० ६९०२ रसीद नं० ५८ ली गई।

अभियुक्त/अभियुक्तगण को राजा भुगताना गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार संचित हो।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)